



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250442  
CG-DL-E-05122023-250442

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2023/अग्रहायण 14, 1945

No. 804]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2023/AGRAHAYANA 14, 1945

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2023

फा.सं. 18-18/15038-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 8-ए हेमकुंड कॉम्प्लेक्स, गोविंद गार्डन, गोविंदपुरा, भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद् द्वारा जीएनएम और बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), मध्य प्रदेश राज्य सरकार, कमरा संख्या 241, मंत्रालय (वल्लभ भवन) एरेरा हिल्स, भोपाल-462004, मध्य प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18-18/15038-आईएनसी दिनांक 15.11.2022 को जारी किया गया था। दिनांक 15.11.2022 को जारी नोटिस की एक प्रति रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 8-ए हेमकुंड कॉम्प्लेक्स, गोविंद गार्डन, गोविंदपुरा, भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मध्य प्रदेश के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 30.03.2022 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 23.02.2023 से रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 8-ए हेमकुंड कॉम्प्लेक्स, गोविंद गार्डन,

गोविंदपुरा, भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश) से जीएनएम और बी.एससी. (नर्सिंग) मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./586/2023-24]

## INDIAN NURSING COUNCIL

### WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 28th November, 2023

**F. No. 18-18/15038-INC.**—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas **Roshan Hospital College of Nursing** situated at **8-A Hemkund Complex, Govind Garden, Govindpura, Bhopal - 462023, Madhya Pradesh** is recognized by State Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Nurses Registration Council to conduct **GNM & B.Sc(N)** Course.

Whereas, a notice no. 18-18/15038-INC dated 15/11/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (Health &FW), Government of Madhya Pradesh, Room No. 241, Mantralaya (Vallabh Bhawan) Area Hills, Bhopal – 462004, Madhya Pradesh was issued. Copy of the notice dated 15/11/2022 was also enclosed to **Roshan Hospital College of Nursing** situated at **8-A Hemkund Complex, Govind Garden, Govindpura, Bhopal - 462023, Madhya Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Roshan Hospital College of Nursing**, Madhya Pradesh. Even the institution **Roshan Hospital College of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 30/03/2022 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 23/02/2023 any person holding a recognized qualification of **GNM & B.Sc(N)** **Roshan Hospital College of Nursing** situated at **8-A Hemkund Complex, Govind Garden, Govindpura, Bhopal - 462023, Madhya Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of Madhya Pradesh subject to the orders of State government of Madhya Pradesh.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./586/2023-24]